पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 ई0

माघ 17, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 138/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-2

देहरादून, 06 फरवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उप धारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 29 जून, 2017 में, निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि में, "सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात "या सरकारी निकाय" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

(ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो ।	शून्य	शून्य";

(ग) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी ।
19ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी ।

(ङ) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है;";

(च) क्रम संख्या 29 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(छ) क्रम संख्या 36 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 35 या 36 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुन: बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(झ) क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"39क	शीर्ष 9971	किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं स्पष्टीकरण :- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, (i) जिसे भारत सरकार ने इस निमित्त अनुमति या मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या (ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या (iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या (iv) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प्रदान की हो ।	शून्य	शून्य";

(ञ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

ii. मद (ख), उप मद (iii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

iii. मद (ग), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय ।";

(ट) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"53क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य ";

(ठ) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (छ), के पश्चात निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ज) कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं ।"

(ड) क्रम संख्या 60 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "विदेश मंत्रालय" को निरसित किया जाएगा, यथा:

(ढ) क्रम संख्या 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(ण) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा;"

ii. मद (ख) में,-

(क) उप-मद (iv) में, " उच्चतर माध्यमिक स्तर तक" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) उप मद (iv), के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान को";

(ग) परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "प्रविष्टि (ख)' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "मद (ख) के उप मद (i), (ii) और (iii) " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि, –

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से; या

(ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों";

(त) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर "सात हजार पांच सौ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(थ) क्रम संख्या 81 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं -
(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल है;
(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;
(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;
(घ) तारामंडल;
जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो".

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.138/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-2,** dated Dehradun, February 06, 2018 for general information:

No. 138/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-2
Dated Dehradun, February 06, 2018

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance section-8 No. 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 3, in the entry in column (3), after the words "a Governmental Authority" the words " or a Government Entity" shall be inserted;

(b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3A	Chapter 99	Composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25 per cent of the value of the said composite supply provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority or a Government Entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil";

(i) after serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"39A	Heading 9971	Services by an intermediary of financial services located in a multi services SEZ with International Financial Services Centre (IFSC) status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees (INR). *Explanation.*- For the purposes of this entry, the intermediary of financial services in IFSC is a person,- (i) who is permitted or recognised as such by the Government of India or any Regulator appointed for regulation of IFSC;or (ii) who is treated as a person resident outside India under the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015; or (iii) who is registered under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (International Financial Service Centre) Guidelines, 2015 as IFSC Insurance Office; or (iv) who is permitted as such by Securities and Exchange Board of India (SEBI)under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.	Nil	Nil";

(j) against serial number 45, in the entry in column (3),-

i. in item (a), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-
"(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity;";

ii. in item (b), after sub-item (iii), the following sub-item shall be inserted, namely:-
"(iv) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity;";

(c) against serial number 16,in the entry in column (3), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted;

(d) after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19A	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30thday of September, 2018.
19B	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30thday of September, 2018.";

(e) against serial number 22, in the entry in column (3), after item (b), the following item shall be inserted, namely: -

"(c) motor vehicle for transport of students, faculty and staff, to a person providing services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of pre-school education and education upto higher secondary school or equivalent.";

(f) after serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29A	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Naval Group Insurance Fund to the personnel of Coast Guard under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil";

(g) against serial number 36, in the entry in column (3), in item (c), for the words "fifty thousand", the words "two lakhs" shall be substituted;

(h) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of reinsurance of the insurance schemes specified in serial number 35 or 36.	Nil	Nil";

iii. in item (c), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-
"(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.";'

(k) after serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"53A	Heading 9985	Services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.	Nil	Nil";

(l) against serial number 54, in the entry in column (3), after item (g), the following item shall be inserted, namely:-
"(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.";

(m) against serial number 60, in the entry in column (3), the words "the Ministry of External Affairs," shall be omitted;

(n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65A	Heading 9991	Services by way of providing information under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005).	Nil	Nil";

(o) against serial number 66, in the entry in column (3),-

i. after item (a), the following item shall be inserted, namely:-
"(aa) by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee;";

ii. in item (b),-

1. in sub-item (iv), the words "upto higher secondary" shall be omitted;

2. after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely:-
"(v) supply of online educational journals or periodicals:";

3. in the proviso, for the word, brackets and letter "entry (b)", the words, brackets and letters "sub-items (i), (ii) and (iii)of item (b)" shall be substituted;

4. after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that nothing contained in sub-item (v) of item (b) shall apply to an institution providing services by way of,-

(i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent; or

(ii) education as a part of an approved vocational education course.";

(p) against serial number 77, in the entry in column (3), in item (c), for the words "five thousand", the words "seven thousand five hundred" shall be substituted;

(q) against serial number 81, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

"Services by way of right to admission to-
(a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;
(b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event;
(c) recognised sporting event;
(d) planetarium,
where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items (a), (b), (c) or (d) above is not more than Rs 500 per person.".

2. This notification shall deemed to come into force from the 25th day of January, 2018.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.